

## 1. बस्ती मण्डल – दिनांक 29–30 जनवरी 2016

डा० राजेश झा, महाप्रबन्धक (कम्युनिटी प्रोसेस) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के नेतृत्व में भ्रमण टीम द्वारा बस्ती मण्डल के जनपद बस्ती एवं सिद्धार्थनगर का दिनांक 29 से 30 जनवरी 2016 को भ्रमण किया गया। जनपद में अनुश्रवण के दौरान निम्न महत्वपूर्ण बिन्दु प्रकाश में आये। इनका इकाईवार विवरण निम्न है।

### ◆ सी.एच.सी.हरैया

- उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की नामवार सूची उपलब्ध नहीं थी।
- जननी सुरक्षा योजना अन्तर्गत प्रसूताओं को 48 घण्टे नहीं रोका जाता है।
- रेडिएण्ट वार्मर का प्रयोग नहीं किया जा रहा था।
- प्रसव कक्ष में आक्सीटोसीन फ्रीज में नहीं रखी गयी थी।
- प्रसव कक्ष में गंदगी पायी गयी एवं डिलिवरी ट्रे एवं दवायें भी मानकानुसार उपलब्ध नहीं थे। डिलिवरी टेबल पर कैलीस पैड गंदा पाया गया। लेबर रूम की स्थिति को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि प्रभारी अधिकारी एवं सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा समुचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। भवन में कलर कोडेड डस्टबिन प्रोटोकाल एवं बायोलाजिकल वेस्ट मैनेजमेंट के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। प्लेसेन्टा एवं प्रसव सम्बन्धी अन्य कचरे का बायो वेस्ट डिस्पोजल प्रबन्धन नहीं हो रहा है।
- सपोर्टिव सुपरविजन का वाहन नहीं था।
- परिवार नियोजन कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रयोग में लायी जाने वाली Concent Form, Medical Record Checklist of Sterilization etc का प्रयोग नवीन प्रारूप पर नहीं किया जा रहा था।
- परिवार नियोजन एवं अन्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत ब्यापक प्रचार –प्रसार की बहुत कमी पायी गयी।
- डेन्टल चेयर उपलब्ध है परन्तु अक्रियाशील है।
- X Ray Room में Chest Stand खराब है।
- सी.एच.सी.हरैया में HIV जाँच की सुविधा उपलब्ध नहीं थी।
- JSSK के अन्तर्गत सी.एच. सी.हरैया में प्रसूताओं को Free Diet की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। मात्र दुध एवं ब्रेड दिया जा रहा है।
- Free Medicine की सुविधा उपलब्ध नहीं थी प्रसूताओं को आवश्यक औषधियाँ बाहर से क्रय करना पड रहा है।
- स्टोर में गंदगी पायी गयी रूम की स्थिति को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि प्रभारी अधिकारी एवं सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा समुचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। स्टोर में औषधियाँ रखने हेतु रैक्स उपलब्ध नहीं थे।
- परिवार नियोजन एवं अन्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत ब्यापक प्रचार –प्रसार किये जाने की आवश्यकता है।
- उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की नामवार सूची तैयार करने की आवश्यकता है।
- आक्सीटोसीन फ्रीज में रखने की आवश्यकता है। जननी सुरक्षा योजना अन्तर्गत प्रसूताओं को 48 घण्टे रोकने की आवश्यकता है। प्रसव कक्ष की साफ–सफाई का विशेष ध्यान रखा जाये एवं बायो वेस्ट डिस्पोजल प्रबन्धन सही प्रकार से करने की आवश्यकता है।
- पी.पी.आई.यू.सी.डी. एवं अन्य समस्त इनसेन्टिव सेवाप्रदाताओं व प्रेरकों को सही समय पर दिया जाये। रेडिएण्ट वार्मर के प्रयोग के जानकारी एल.आर. में कार्यरत समस्त स्टाफों को दी जाय।
- टीकाकरण सत्रों के लिए Tickler bag की उपलब्धता कराने की आवश्यकता है।
- परिवार नियोजन कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रयोग में लायी जाने वाली concent form, medical record checklist of sterilization etc का प्रयोग नवीन प्रारूप पर किये जाने की आवश्यकता है।

#### ◆ जनपद- बस्ती व सिद्धार्थनगर के 12 मातृत्व सप्ताह सत्र

- सत्र स्थल पर टीकाकरण कार्ड उपलब्ध थे, परन्तु कार्ड पर एल0एम0पी0.ईडीडी एवं प्रसव संबंधी जटिलताओं का डाटा ठीक ढंग से नहीं भरा जा रहा था।
- सत्र स्थल पर वैक्सीन कैरियर में जमें आइस पैक पायें गये एवं अपडेटेड ड्यू लिस्ट उपलब्ध नहीं थी।
- वैक्सीन कैरियर के अन्दर बिना जिपर बैग के ही टी0टी के वायल रखे थें ।

#### ◆ सी.एच.सी. इटवा- जनपद सिद्धार्थनगर

- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के परिसर में 20 शैय्या के भवन उपलब्ध है जोकि महिला चिकित्सालय बताया गया। भवन का निर्माण वर्ष 1992 में कराया गया था। भवन के एक कक्ष का 102 एवं 108 एम्बुलेंस सेवा से सम्बन्धित कर्मचारी उपयोग कर रहे हैं। अन्य कक्षों में पुराना सामान जैसे-बेड, गद्दे एवं अन्य सामान भरा हुआ है। भवन की विद्युत वायरिंग खराब है एवं भवन की छत भी क्षतिग्रस्त है। ऐसा प्रतीत होता है कि लम्बे समय से भवन का उपयोग एवं उचित रख-रखाव ना होने के कारण भवन जर्जर अवस्था में आ गया है। भवन की चाबी की अनुपलब्धता होने के कारण कमरों को अन्दर से नहीं देखा जा सका। इस सम्बन्ध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं दूरभाष पर श्रीकान्त लाल, जूनियर इन्जीनियर से वार्ता हुई एवं उन्हें उक्त भवन का रिनोवेशन हेतु आंकलन उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के अधिकारियों द्वारा बताया गया कि परिसर में ओ0पी0डी0 भवन का निर्माण सन् 1924 में किया गया है। उक्त भवन के एक ही कमरे में समस्त चिकित्सा अधिकारियों द्वारा मरीजों को देखा जा रहा है। भवन में साफ-सफाई एवं विद्युत व्यवस्था अत्यन्त खराब थी। वर्तमान समय में भवन को निष्प्रयोज्य घोषित किया जा चुका है।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के परिसर में स्थित 30 शैय्या भवन की स्थिति भी उचित रख-रखाव न किये जाने के कारण खराब अवस्था में है एवं भवन की दीवारों में दरारें भी दिखाई पड रही है। इस भवन के रैम्प पूर्णतया क्षतिग्रस्त है एवं कभी भी गिर सकता है। उक्त भवन में जे0एस0वाई0 वार्ड, प्रसव कक्ष कोल्ड चैन रूम, स्टोर एवं प्रयोगशाला आदि का संचालन किया जा रहा है। भवन के प्रथम तल पर दो वार्ड हैं। जिसमें से एक वार्ड प्रयोग में लाया जा रहा है। दूसरे वार्ड में बेड, गद्दे एवं क्रेडल (पालना) आदि विखरे पडे थे। प्रसव कक्ष में गंदगी पायी गयी एवं डिलिवरी ट्रे एवं दवायें भी मानकानुसार उपलब्ध नहीं थे। डिलीवरी टेबल पर कैलीस पैड नहीं था, लेबर रूम की खिडकियों के शीशे क्षतिग्रस्त थे एवं खिडकियों पर पर्दे नहीं थे। लेबर रूम की स्थिति को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि प्रभारी अधिकारी एवं सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा समुचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। भवन में कलर कोडेड डस्टबिन प्रोटोकाल एवं बायोलॉजिकल वेस्ट मैनेजमेंट के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। प्लेसेन्टा एवं प्रसव सम्बन्धी अन्य कचरे को पालीथीन में बाँध कर रैम्प के नीचे रखा जा रहा है।
- चिकित्सालय में एक अन्य भवन उपलब्ध है जिसमें बी0पी0एम0यू0 एवं जे0एस0वाई0 पेमेन्ट का कार्य किया जाता है। भवन में आयरन ब्ल्यू के कई कार्टून पडे हुए थे, जिसमें से कई कार्टून खुले हुए थे। बी0पी0एम0यू0 कक्ष में हाल ही में शार्ट सर्किट से आग भी लग चुकी है। जिस कारण कमरे में बहुत अव्यवस्था देखी गयी। उक्त भवन की भी मरम्मत करने की आवश्यकता है।
- चिकित्सालय में चिकित्सकों एवं कर्मचारियों के आवासीय भवनों की स्थिति भी ठीक नहीं है एवं मरम्मत की आवश्यकता है।
- निर्माणाधीन 30 शैय्यायुक्त मैटरनिटी विंग के निरीक्षण के दौरान कार्यदायी एजेन्सी, यू0पी0 प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन के ठेकेदार से दूरभाष से वार्ता से यह ज्ञात हुआ कि यह भवन मार्च, 2016 तक पूर्ण कर स्वास्थ्य विभाग को सौंप दिया जायेगा।
- सर्पोटिव सुपरविजन एवं आर0बी0एस0के0 के वाहन उपलब्ध नहीं थे।

- भ्रमण के समय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी एवं सम्बन्धित लिपिक की अनुपस्थिति के कारण वित्तीय अभिलेखों, रोगी कल्याण समिति के रजिस्टर एवं अन्य अभिलेखों का अनुश्रवण नहीं किया जा सका। जिला लेखा प्रबन्धक, एन0एच0एम0 द्वारा प्रेषित सूचना के आधार पर यह ज्ञात होता है कि—
- वर्ष 2014—15 में क्लीनिंग एवं वाशिंग मद में रू0 197406.00 की धनराशि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र इटवा को अवमुक्त की गयी। उक्त धनराशि के सापेक्ष रू0 150220.00 की धनराशि व्यय की गयी, जिसका भुगतान वर्ष 2015—16 में किया गया। इसी प्रकार रोगी कल्याण समिति मद में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र इटवा को कुल धनराशि रू0 806000.00 (4 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सम्मिलित) के सापेक्ष रू0 791480.00 की धनराशि व्यय की गयी (पताका क)।
- वर्ष 2015—16 में विभिन्न मदों में कुल धनराशि रू0 11006800.00 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र इटवा को अवमुक्त की गयी। जिसके सापेक्ष रू0 3748609.00 की धनराशि व्यय की गयी। उक्त धनराशि में से क्लीनिंग एवं वाशिंग मद में रू0 197406.00, रोगी कल्याण समिति मद में 351000.00 एवं बायो मेडिकल वेस्ट मद में रू0 157309.00 की धनराशि अवमुक्त की गयी। उक्त मदों के सापेक्ष कोई भी व्यय दर्शाया नहीं गया है (पताका ख)।
- सम्बन्धित लिपिक की अनुपस्थिति के कारण राज्य बजट से प्राप्त धनराशि के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी।
- भ्रमण दल द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सिद्धार्थनगर को निम्न सुझाव दिये गये—
- ओ0पी0डी0 को वर्तमान स्थान से हटा के आई0पी0डी0 भवन में लाया जा सकता है। इस हेतु भूतल पर दो कक्षों को एवं प्रथम तल पर दो कक्षों को चिन्हित किया गया। इन कक्षों के मरम्मत आदि आने वाला व्यय में रोगी कल्याण समिति के मद से नियमानुसार किया जा सकता है।
- प्रथम तल पर उपलब्ध वार्ड एवं शौचालयों की मरम्मत करायी जानी चाहिए। उक्त हेतु व्यय भी रोगी कल्याण समिति के मद से नियमानुसार किया जा सकता है।
- प्रसव कक्ष को एम0एन0एच0 टूल किट के अनुसार कराये जाने हेतु जे0एस0वाई0 के एडमिन मद में उपलब्ध धनराशि द्वारा नियमानुसार उपयोग किया जा सकता है।
- जे0ई0 सिद्धार्थनगर एवं ए0ई0 बस्ती द्वारा परिसर के समस्त भवनों के रिनोवेशन हेतु कार्ययोजना बनायी जानी चाहिए।
- वर्तमान ओ0पी0डी0 भवन यदि निष्प्रयोज्य घोषित है तो उक्त भवन के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकती है।
- सर्पोटिव सुपरविजन एवं आर0बी0एस0के0 के वाहन तुरन्त उपलब्ध कराये जायें।
- उपरोक्त बिन्दुओं से यह प्रतीत होता है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र—इटवा में विभिन्न मदों से प्राप्त धनराशि का उचित प्रयोग सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा नहीं किया जा रहा है जिस कारण क्षेत्रीय जनता को उपलब्ध स्वास्थ्य सेवायें प्राप्त करने में कठिनायी हो रही है।